प्राकृतिक आपदाओं में किसानों का जीवन रक्षकः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

मोती लाल मीणा, धीरज सिंह एवं महेन्द्र चौधरी

भाकृअनुप–काजरी, कृषि विज्ञान केन्द्र, पाली–मारवाड़ (राजस्थान):306401

भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के कारण भारत सरकार ने समय–समय पर कृषि के विकास के लिए अनेक योजनाओं को शुरू किया, सिमें से कुछ योजनाएं जैसे–गहन कृषि विकास कार्यक्रम (1960–61), गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (1964–65), हरित क्राति (1966–67), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (1973), आदि। लेकिन इन सभी योजनाओं के बाद कृषि क्षेत्र की अनिश्चिताओं का समाधान नहीं हुआ, जिससे आज 21 वीं सदी में भी किसान सुरक्षित नहीं है। भारत सरकार ने किसानों के विकास के लिए अनेक योजनाओं का विकास किया जिसमें किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये, भारत के प्रधानमंत्री, ने 13 जनवरी 2016 बुद्धवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गयी। ये योजना 13 जनवरी को लोहड़ी (किसानों का त्योहार) के शुभ अवसर पर भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा किसानों के लिए तौहफा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करायेगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या हैः–

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016, को केन्द्रीय मंत्रीपरिषद ने अपनी मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 8800 करोड़ रूपयें को खर्च किया जायेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, किसानों को बीमा कम्पयिों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिये 2 प्रतिशत प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करेगा। प्राईम मिनिस्टर कॉप इन्श्योरेन्स स्किम (पी.एम.एफ.बी.वाई) पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रख कर बनायी गयी है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत

नीचा रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगता कर सके। ये योजना केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्यः–

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों के त्योहार लोहड़ी, मकर संक्रान्ति, पोंगल, बिहू के शुभ अवसर पर भरतीय किसान के लिये उपहार है। किसानों के कल्याण के लिये इस फसल बीमा योजना में शमिल किये गये मुख्य तथ्य निम्नलिखित है।

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरों को किसानों की सुविधा के लिये बहुत कम रखा गया है ताकि सभी स्तर के किसान आसानी से फसल बीमा का लाभ ले सके।
2. इस योजना को आने वाले खरीफ फसलों के मौसम से शुरू किया जायेगा।
3. इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की फसलों (रबी , खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी की फसलों) को शमिल किया गया है।
4. खरीफ (धान या चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि) की फसलों के लिये 2 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
5. रबी (गेहू, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि) की फसल के लिये 1.5 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा।
6. वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों बीमा के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
7. शेष प्रीमियम बीमा कम्पनीयों को सरकार द्वारा दिया जायेगा। ये राज्य तथा केन्द्रीय सरकार में बराबर–बराबर बाँटा जायेगा।
8. सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि बचा हुआ प्रीमियम 90 प्रतिशत होता है तो ये ारकार द्वारा वहन किया जाएगा।

9. ये योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का स्थान लेती है।
10. इसकी प्रीमियम दर एन.ए.आई.एस. और एम.ए.आई. दोनो योजनाओं से बहुत कम है साथ ही इन दोनो योजनाओं की तुलना में पूरी बीमा राशि को कवर करती है।
11. इससे पहले की योजनाओं में प्रीमियम दर को ढ़कने का प्रावधान था जिसके परिणामस्वरूप किसानों के लिये भूगतान के कम दावे पेश किये जाते थे। ये कैपिंग सरकारी सब्सिडी प्रीमियम के खर्च को सीमित करने के लिये थी, जिसे अब हटा दिया गया है और किसान को बीना किसी कमी के दावा की गयी राशि के खिलाप पूरा दावा मिल जायेगा।
12. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंर्गत तकनीकी का अनिवार्य प्रयोग किया जायेगा, जिससे किसान सिर्फ मोबाईल के माध्यम से अपनी फसल के नुकसान के बारे में तुरंत आंकलन कर सकता है।
13. ये योजना सभी प्रकार की फसलों के प्रीमियम को निर्धारित करते हुए सभी प्रकार की फसलों के लिये बीमा योजना को लागू करती है।
14. प्रधानमंत्री फसल बीमा के अन्तर्गत आने वाले 3 सालों के अन्तर्गत सरकार द्वारा 8800 करोड़ खर्च करने के साथ ही 50 प्रतिशत किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
15. मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे आग लगना, चोरी होना, सेंध लगाना आदि को इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।
16. प्रीमियम की दरों में एक रूपता लाने के लिये, भरत में सभी जिलों को समूहों में दीर्धकालीन आधार पर बांट दिया जायेगा।
17. ये नयी फसल बीमा योजना 'एक राष्ट्र एक योजना' विषय पर आधारित है। ये पुरानी योजनाओं की सभी अच्छाईयों को धारण करते हुये उन योजनाओं की कमीयों और बुराईयों को दूर करता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारणः–

पूरे विश्व में भरतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किया हुये है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि भरत की लगभग 71 प्रतिशत जनसंख्या कृषि आधरित उद्योगो से अपना जीवन यापन करती है साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5 प्रतिशत खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करती है। भरत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2 प्रतिशत आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। अतः कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भरतीय कृषि, प्रकृति की अनिश्चित कालीन दशा पर निर्भर है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय सरकार ने देश के लिये औद्योगिकीकरण पर विशेष बल दिया जिसमें कहीं न कहीं कृषि पिछड़ गयी, हालांकि, कृषि के विकास के लिये भी भरतीय सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाये जिसमें हरितक्रांति (1966–67) में शुरू किसनों की फसल के लिये सबसे बड़ी योजना थी, जिसने कृषि के क्षेत्र में एक नयी क्रांति को जाना दिया और भारत में गिरती हुयी कृषि की अवस्था में सुधार किया। लेकिन सरकार द्वारा किये गये इतने प्रयासों के बाद भी भारतीय कृषि संरचना की स्वरूप में बदलाव नहीं हुआ हालाकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में है, किन्तु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चिताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं (जैस–सुखा, बाढ़, बारिश आदि) से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराईयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही–सही व्याख्या करती है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभः–

किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पी.एम. मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, केन्द्रीय मंत्री परिषद में पारित कराकर, भारतीय किसानों के लिये बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि ये भरतीय

अर्थव्यवस्था के मुख आधार कृषि से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसे समय में असतित्व में आयी है जब भारत दीर्धकालीन ग्रामीण संकट का सामना कर रहा है, इसलिये इस के कैबिनेट से पारित हो जाने के तुरन्त बाद से महत्व खुद–ब–खुद बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित है

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम की दर बहुत कम है जिससे किसान इसकी किस्तों का भुगतान आसानी से कर सकेगें।
2. ये योजना सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल करती है, जिससे सभी किसान किसी भी फसल के उत्पादन के समय अनिश्चिताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करेगें।
3. ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ्य बनायेगी।
4. इस योजना के कियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता को बढ़ायेगी।
5. इस योजना के कियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा जिससे किसानों की कार्यक्षमता में सुधार होगा।
6. सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी आयेगी।
7. स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की उपयोगिताः–

अब कोई भी किसान कुदरत की मार नहीं सहेगा। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, कीट आक्रमण व रोगों आदि के कारण फसल खराब होने पर किसान को उचित मुआवजा मिल सकेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों की खरीफ फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत किसान निश्चित फसलों का बीमा करा सकेगा और वह भी प्रीमियम की केवल 2 से 5 फीसदी राशि अदा करके। योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है।

बीमा योजना की विसंगतियों को दूर कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश भर में लागू की गई है। फसल बीमा योजना देश भर में लागू की गई है। फसल बीमा योजना में यह सरकार की अब तक की सबसे बड़ी मदद है। खाद्यान्न, दलहन, तिलहन फसलों के लिए एक मौसम, एक दर होगी–जिलेवार और फसलवार अलग–अलग दर से अब मुक्ति मिलेगी–खरीफ सिर्फ 2 प्रतिशतए रबी सिर्फ 1.5 प्रतिशत। फलस्वरूप किसानों के लिए यह अब तक की सबसे कम प्रीमियम दर होगी। 90 प्रतिशत से ज्यादा होने पर भी शेष भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के तहत आपदा से पीड़ित किसानों को राहत पंहुचाने के मामले में सरकार ने मानकों में परिवर्तन किया है। पहले 50 प्रतिशत से अधिक फसल का आपदा से नुकसान होने पर जो मुआवजा मिलता था, अब 33 प्रतिशत पर प्राप्त होगा। भुगतान की राशि को भी डेढ़ गुना कर दिया गया। अतिवृष्टि से खराब हुए, टूटे और कम गुणवत्ता वाले अनाज का भाव भी पूरा समर्थन मूल्य देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों को पहले जहां मात्र 1.50 लाख रूपयें देने का प्रवधान था, उसे बढ़ाकर 4 लाख रूपये कर दिया गया है। वर्ष 2010–15 के लिए राज्य आपदा राहत कोष में 33580.93 करोड़ रूपये आवंटित किए थे, जबकि वर्ष 2015–2020 के लिए राशि बढ़ाकर 61219 करोड़ रूपयें कर दी गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने के लिए सरकार ने राजस्थान प्रदेश के 33 जिलों को आठ कलस्टरों में विभाजित कर दो बीमा कम्पनियों को बीमा करने के लिए अधिकृत किया है। अधिसूचना के अनुसार किसान की बुवाई से लेकर कटाई तक की फसल बीमा में कवर किया जाएगा। बुवाई के बाद भी अगर बीज अंकुरित नहीं हुआ या फसल कटाई के बाद भी प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हुई तो बीमा योजना के अनुसार किसानों को क्लेम दिया जाएगा। यह योजना प्रदेश की विभिन्न वित्तिय संस्थाओं, बैंकों से फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिर्वाय रूप से लागू की गई है। वहीं गैर–ऋणी किसान स्वेच्छा से बैंक या बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से फसल का बीमा करा सकेगें। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

सात हैक्टर के प्रीमियम पर ही अनुदान–एक किसान अधिकतम सात हैक्टर तक अधिसूचित फसलों का बीमा अनुदानित दर पर करा सकेगा। इससे ज्यादा क्षेत्रफल की फसल का बीमा सम्पूर्ण प्रीमियम राशि देने पर ही किया जाएगा। किसानों को सात हैक्टर तक अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराने पर प्रीमियम राशि की दो प्रतिशत राशि देनी होगी। उद्यानिकी व वाणिज्यिक फसलों के मामले में किसान को पांच फीसदी राशि देनी होगी। दोनों मामलों में प्रीमियम की शेष बची राशि व केन्द्र सरकार 50:50 के अनुपात में वहन करेगी।

क्लेम का भुगतान किन स्थिति मे होगाः–

गिरदावर सर्किल अल्प वर्षा, विपरीत मौसम परिस्थितियों में 75 फीसदी से अधिक बुवाई नहीं होने की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा बीमित राशि की अधिकतम 25 फीसदी राशि किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाएगी। बुवाई से लेकर कटाई तक की अवधि में सूखा, बाढ़, जल प्लावन, कीट एवं व्याधि, भूस्खलन, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, तुफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टाइफून, समुद्री तुफान, हुरिकेन, टोरनेडों आदि से फसल का उत्पादन 50 फीसदी से कम होने की दशा में 25 फीसदी क्षतिपूर्ति तत्काल दी जाएगी। उपज में निर्धारित मापदण्ड से अधिक नुकसान होने, फसल कटाई के बाद सूखने के लिए खेत में फसल फैलाने के दो सप्ताह की अवधि में असामयिक वर्षा से नुकसान होने पर बीमा कम्पनी द्वारा देय होगा।

भामाशाह आधार जरूरीः–

ऋणी व गैर–ऋणी किसान को अधिसूचित फसल का बीमा कराने के साथ ही सम्पूर्ण दस्तावेज वित्तीय संस्था या बीमा कम्पनी को जमा कराने होगें। इनके साथ किसान को अपने आधार, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता नम्बर, आई.एफ.एस.सी कोड आदि की जानकारी देनी होगी। ऋणी, गैर ऋणी, बटाईदार किसान द्वारा अधिसूचित फसल का बीमा कराने के बाद बैंक बीमित फसल, रकबा, प्रीमियम, आदि जानकारी दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति किसान को तथा दूसरी प्रति बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराएगा।

खरीफ में किन फसलों का बीमाः–

बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चौला, उड़द, सोयाबीन, तिल, धान, कपास, मूंगफली, अलसी, अमरूद, किनू, संतरा, अनार, प्याज, अरण्डी आदि फसलों पर लागु किया गया है।

बीमा कम्पनीः–

फसल बीमा योजाना में सरकार ने प्राईवेट कम्पनीयों से समझोता कर उनसे फसल बीमा करने का कार्य पर समझोता किया गया है। इस प्रकार राजस्थान प्रदेश ने इस बीमा योजना को किसनों के लिय लसाभ उठाने के लिए 8 क्लस्टरों में विभजित किया गया है। जो सारणी 1 में दर्शाया गया है।

सारणी 1 राजस्थान में कलस्टर जिले अनुसार बीमा कम्पनी

क्र.स.	कलस्टर जिलेवार	बीमा कम्पनी जिलेवार
1	चूरू, भीलवाड़ा, राजसमंद	यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कं.लि.
2	अलवर, डूंगरपुर, जोधपुर	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कं.ऑफ इंडिया लि.
3	बाडमेर, धोलपुर, हनुमानगढ़	यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कं.लि.
4	बंरा, बीकानेर, चित्तोरगढ़, टोंक	एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कं.ऑफ इंडिया लि.
5	बूंदी, सीकर, जैसलमेर, कोटा, सिरोही	यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कं.लि.
6	बांसवाड़ा, झालावाड़, नागौर, करौली, झुंझूनू	यूनाइटेट इंडिया इन्श्योरेन्स कं.लि.
7	अजमेर, गंगानगर, जालोर, सवाई माधोपुर, उयपुर	यूनाइटेट इंडिया इन्श्योरेन्स कं.लि.
8	जयपुर, भरतपुर, दौसा, पाली, प्रतापगढ़	एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कं.लि. ऑफ इंडिया लि.

विभिन्न बीमा योजनाओं में बीमित फसलेंः–

अब तक की सबसे बड़ी बीमा योजनाओं में यह एक सफल योजना है जो किसानों के हित के लिए लाभकारी है। राज्यवार विभिन्न बीमा योजनाओं में कुल क्षेत्रफल एवं उनका विवरण सारणी 2 में दिया गया है।

सारणी 2 राज्यवार कुल बीमित फसल क्षेत्र (2014–15)

राज्यों का नाम	**सकल फसल क्षेत्रा (मिलीयन है.)**	**कुल बीमित क्षेत्र (मिलीयन है.)**	**प्रतिशत बीमा क्षेत्र**
राजस्थान	23.95	11.91	49.70
बिहार	07.78	03.74	48.02
मध्यप्रदेश	23.13	10.62	45.91
माहाराष्ट्र	21.87	04.87	22.26
कर्नाटक	11.75	01.44	12.25
गुजरात	12.60	01.39	11.02
उत्तर प्रदेश	25.83	02.05	07.95
आंध्रा प्रदेश	13.65	00.54	03.96
कुल भारत में	**194.40**	**45.34**	**23.32**

सारणी–3 फसल बीमा योजनाओं में कुल फसलवार क्षेत्र जो बीमा किया सभी योजनाओं द्वारा

क्र.स.	**फसल**	**वर्ष 2014–15**		
		सकल क्षेत्रफल (मिलीयन है.)	**बीमित क्षेत्र (मिलीयन है.)**	**बीमित क्षेत्र का प्रतिशत**
1	धान	42.76	10.02	23.43
2	गेहूं	30.50	07.74	25.39
3	मोटे अनाज	25.15	05.95	22.88

4	गन्ना	05.44	00.15	02.67
5	कपास	11.90	01.53	12.92
6	जूट	00.85	00.07	08.18
7	तिलहन फसलें	29.10	10.43	35.84
8	दलहन फसलें	21.96	05.77	26.27
9	सब्जियां	05.51	02.09	37.99
10	फल	03.77	00.21	05.58
कुल		**194.40**	**45.34**	**23.32**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार–प्रसारः–

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने सभी प्रदेशें में कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता अभियान एवं एक दिवसिय मेले का आयोजन सम्पूर्ण भारत प्रत्येक जिलो में कराया गया है जिससे किसानों को इस योजना के बारे में जागरूक किया जा सके। इस ओजन में क्षेत्रिय सासंद, विधायक, प्रधान तथ सभी जनप्रतिनिधियों का उपस्थित होना आवश्यक है जिसमें सभी जिलों के सांसध महोदयों ने हिस्सा लेकर इस लाभकारी योजना को किसानों तक पंहुचाने में सहायता की। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर कृषि विभाग के माध्यम से भी किसानों को जागरूक किया गया है। साथ में किसान चैनल के माध्यम से भी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपयोगिता को ग्रहण करने का कार्य भी दर्शाया गया है।

जागरूकता सम्मेलन

महिलाओ की भागीदारी

जगरूक कृषक

सांसद महोदय द्वारा सम्बोधन

खरीफ फसल का अवलोकन

रबी फसल का अवलोकन